

फर्द अहकाम  
(नियम 20)

सत्र अदालत न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट / अधिकारी, निवाड़ (टोंक-राज.)

नाम शमेश्वर किस मुकदमा आपरा 128  
 वनाम TOR नं. 207 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<u>16-7-19</u>	<p>पत्रावली श्री कोर्टल किया जा रहा है पेश की अवलोकन किया गया जो पत्र दर्ज रजिस्टर की प्रतिपत्ती की जरूरत नैरित तलब करें। पत्रावली दि. 23.7.19 की पेश की।</p> <p>23/7</p> <p>पत्रावली पेश हुई। कोर्टल अन्व अवलोकन/अवलोकन नहीं के लिए अतिरिक्त 2018 में व्यक्त है पत्रावली अतिरिक्त जादेश दि. 21-8-19 को पेश हो।</p>	<p>2018 21/8/19</p>
<u>21-8-19</u>	<p>वकील आधी उपा. प्रतिपत्ती की तामिल हो चुकी है। बाद तामिल अन्व पस्थित है। अतः प्रतिपत्ती के विरुद्ध एकराफा कार्रवाही की जाती है। वकील आधी की वक्त एकराफा खुनी गयी। आपरा स्वीकार कि जर्म हेतु निवेदन किया। अवलोकन किया गया। आपरा आधी स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निवाड़ को 500 रूपये मौका कमिश्नर कीत पर मौका कमिश्नर</p>	

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो  
हुक्म की तारीख  
में जारी है

हुक्म या कार्यवाही भय इनिशियल जज

तारीख  
हुक्म

नियुक्त किए जप्त तथा कार्य  
रिफ्त जप्त है कि वाणित भूमि ख. नो 516,  
517, 518, 523, 525, 527, 528 कुल रिया  
07 कुल एकबा 03-17 बीघा बावें साम  
विडोली का निममानुसार सीमाशन कर  
पहचानी अथवा पत्रावली फैसल शुमार  
दोकर नम्बर में कम हो तथा इफ्तार  
दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी  
निवाड़